न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. कृपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति मीना निवासी डी–67, आनंद विहार, रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर
2. भरोसी पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी बड़ापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 851 रकबा 0–05 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 851 रकबा 0–05 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2026–29 तक के खाता संख्या 646 किस्म बारानी–3 से श्री भरोसी पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी बड़ापुरा तहसील मासलपुर के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् कृपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति मीना निवासी डी–67, आनंद विहार, रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर के नाम जरिये पंजीकृत वयनामा दर्ज कर दी गई। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में कृपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति मीना निवासी डी–67, आनंद विहार, रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 851 रकबा 0–05 बीघा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2059–62, 2067–70, 2071–74 नामांतरकरण संख्या 283, 783 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण प्रार्थी के विरुद्ध गलत पेश किया गया है। उक्त प्रकरण में आराजी खसरा नंबर 851 रकबा 5 विस्वा किस्म बारानी–3 बाके ग्राम बड़ापुरा तहसील मासलपुर में स्थित है जिसको प्रार्थी ने जरिये वयनामा दिनांक 09.09.2016 को विक्रेता (खातेदार) भरोसी पुत्र रामफूल मीना बड़ापुरा (मासलपुर) से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है जिसका वयनामा उप पंजीयक मासलपुर द्वारा प्रार्थी के हक में 09.09.2016 को तस्दीक किया गया है। तहसीलदार मासलपुर ने उक्त वयनामा रजि. शुल्क लेकर प्रार्थी के हक में निष्पादित किया है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है।

जिला कलक्टर
करौली

वर्तमान में उक्त खसरा नंबर 851 पर ना तो जमाबंदी में ना ही मौके पर कहीं गैर मुमकिन नाला है ना ही उक्त खसरा नंबर में वयनामा के समय जांच की गई एवं ना ही उक्त जमाबंदी में नाला दर्ज था। प्रार्थी किसी प्रकार से दोषी नहीं है। जमाबंदी के आधार पर ही वयनामा प्रार्थी के हक में तस्दीक किया गया है। वर्तमान में उक्त आराजी का प्रार्थी के नाम नामांतरकरण खुल चुका है जो किस्म बारानी दर्ज है जो प्रार्थी के कब्जे में है। यह कि प्रार्थी को बेजा परेशान करने की नीयत से उक्त रेफरेन्स पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 1 का यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी का संपरिवर्तन करवा लिया है जिसमें वर्तमान में विद्यालय संचालित है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और ना ही कोई जवाब पेश किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक विला लगानी आराजी खसरा नंबर 851 रकबा 0–05 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2026–29 तक के खाता संख्या 646 किस्म बारानी–3 से श्री भरोसी पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी बड़ापुरा तहसील मासलपुर के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् कृपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति मीना निवासी डी–67, आनंद विहार, रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर के नाम जरिये पंजीकृत वयनामा दर्ज कर दी गई। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में कृपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति मीना निवासी डी–67, आनंद विहार, रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का आवंटन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय की पालना अपेक्षित है। चूंकि वर्तमान खातेदार द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि होने के कारण रजिस्टर्ड वयनामा द्वारा क्रय की गई है एवं उसका संपरिवर्तन भी कराया गया है। इसलिये वर्तमान खातेदार को उचित मुआवजा दिया जाना आवश्यक है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर वर्तमान खातेदार को उचित मुआवजा दिये जाने की सिफारिश के साथ ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 851 रकबा 0–05 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली